लोकायुक्त कार्यालय,
4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1

सर्वसाधारण के लिए सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3416 दिनांक 4.3.2020 के द्वारा बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है जो निम्न प्रकार है:–

1. लोकायुक्त कार्यालय में परिवाद दायर करते समय बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013 के नियम–4 उप नियम–1 कंडिका (ड.) जोड़ा गया है जो निम्न प्रकार है।

"क्या सदृश्य परिवाद पूर्व में किसी न्यायालय/प्राधिकार के समक्ष उन शिकायतों के लिए दायर नहीं किया गया है, जिसके लिए उनके द्वारा लोकायुक्त संस्थान के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया गया है ? "

2. बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013 के नियम–6 उपनियम–2 में एक नया उप नियम–2(ख) जोड़ा गया है।

"परिवादी को यह घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा सदृश्य वाद किसी न्यायालय/प्राधिकार के समक्ष दायर नहीं किया गया है अथवा लंबित नहीं है । यदि उनके द्वारा कोई वाद किसी न्यायालय/प्राधिकार के समक्ष पूर्व में दायर किया गया हो तो इसका पूर्ण विवरण एवं संबंधित न्यायालय/प्राधिकार द्वारा पारित अंतिम आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।"

आम जनों के सूचनार्थ ।

अवर सचिव
लोकायुक्त कार्यालय,
बिहार, पटना